संख्या- 1/2024/239/60-3-2024-सी-1692910/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय-मिशन शक्ति के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित संबल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत 181-महिला हेल्पलाइन योजना/वन स्टाप सेन्टर योजना/बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत नवसृजित लेखाशीर्षक में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-536/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग /2023-24, दिनांक 09.02.2024 तथा संख्या-569/निदे0म0क0/लेखा-बजट/ पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 16.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-05-वन स्टाप सेन्टर-(ओ.एस.सी.)-(के.100/रा.00/के+रा)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-18,12,70,547/- (रूपये अट्ठारह करोड़ बारह लाख सत्तर हजार पाँच सौ सैंतालीस मात्र) एवं लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-04-महिला हेल्पलाइन-(के.100/रा.00/के+रा)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-37,80,000/- (रूपये सैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) तथा लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-06-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-(के.100/रा.00/के+रा)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-20,93,28,280/- (रूपये बीस करोड़ तिरान्नबे लाख अट्ठाइस हजार दो सौ अस्सी मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0-39,43,78,827/- (रूपये उन्तालीस करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कन्या सुमंगला योजना के सुसंगत लेखाशीर्षक से पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था करायी गयी धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-05-वन स्टाप सेन्टर-(ओ.एस.सी.)-(के.100/रा.00/के+रा)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-18,12,70,547/- (रूपये अट्ठारह करोड़ बारह लाख सत्तर हजार पाँच सौ सैंतालीस मात्र) एवं लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-04-महिला हेल्पलाइन-(के.100/रा.00/के+रा)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-37,80,000/- (रूपये सैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) तथा लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-06-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-(के.100/रा.00/के+रा)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-20,93,28,280/- (रूपये बीस करोड़ तिरान्नबे लाख अट्ठाइस हजार दो सौ अस्सी मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0-39,43,78,827/- (रूपये उन्तालीस करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित आर0ई0 संख्या-बजट-1-591, दिनांक 11 मार्च, 2024 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या- 1 /2024/239/60-3-2024-सी-1692910/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।